प्र. पा. 83/2021 Online No. 2021/120

ईश्वरलाल / गुणमाला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/7/22	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त हैं। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/7/22 को पेश हो। आदेश से रीडर	
27/7/22	पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब कर पत्रावली दिनांक 8/8/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
8/8/22	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष आज वक. सस्पेंड/पेनडाउन है। पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 30/8/22 को पेश हो। आदेश से रीडर	
30/8/22	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष आज वक. सस्पेंड/पेनडाउन है। पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 13/9/22 को पेश हो। आदेश से रीडर	
13/9/22	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त प्रस्ताव पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रकरण के निर्णय हेतु [illegible] [illegible] नक्शा मय हस्ताक्षर [illegible] [illegible] के [illegible] नक्शा शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–ओमप्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83 / 2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री ईश्वरलाल पिता धनराज ब्राहम्ण निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति गुणमाला देवी धर्मपत्नी अशोक कुमार जेन निवासी हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा।
2. श्रीमति पुष्पा देवी धर्म पत्नी गोपीलाल पेमावत निवासी हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः–'

1–श्री श्रवण कुमार सैन अधिवक्ता प्रार्थीगण

2–श्री राजेन्द्र जैन अधिवक्ता अनुपस्थित

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–13.09.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य की खातेदारी अधिकारो की ग्राम पालडी प0ह0 पालडी तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1563, 2128 / 1571, 1571, 1567 / 1, 1566 / 1 कुल किता 05 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने हेतु मुख्य रास्ता से बिलानाम आराजी नम्बर 1678 से होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1570 के पूर्वी मेड के सहारे 12 फीट का रास्ता का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने कृषि उपकरण लाने ले जाने फसल की हकाई बुआई करने के लिए करता आ रहा है। उक्त रास्ता मुख्य रास्ता से होकर बिलानाम आराजी संख्या 1678 मे से होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1570 के पूर्वी मेड से होकर गुजरता है जो कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 1571 में प्रवेश करता है जो कि मौके पर विधमान है, इस रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिए मौके पर विधमान रास्ता जो कि बिलानाम आराजी नम्बर 1678 से होकर विपक्षीगण की कृषि आराजी नम्बर 1570 के पूर्वी मेड पर स्थित है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में रास्ता को लाल स्याही से प्रस्तावित कर दर्शाया है, जिसके अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि में आने जाने हेतु मौके पर बिलानाम आराजी नम्बर 1678 से होकर विपक्षीगण की खातेदारी की कृषि आराजी नम्बर 1570 की पूर्वी मेड पर 12 फीट रास्ता विधमान है जिसे विपक्षीगण बार बार थोर व छडियो की बाड लगा कर रास्ता को बन्द कर दिया जाता है, जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि की हंकाई बुआई व उपयोग उपभोग करने में काफी समस्या आती है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करने पर विपक्षीगण द्वारा लडाई झगडा व विवाद किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

इसलिए प्रार्थी ने विपक्षीगण को हाल दिनांक 25.4.2017 को निवेदन किया कि इस रास्ता की भूमि की नियमानुसार जो राशि बनती है उसे में देने के लिए तैयार हूँ जिसे लेने एवं रास्ता की भूमि नक्शे व रेकार्ड में दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण ने रास्ता की भूमि के बदले मुआवजा राशि नही लेने एवं रास्ता की भूमि को नक्शे व रेकार्ड में दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता जो कि रेकार्डेड रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 1678 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1570 पूर्वी मेड पर 12 फीट प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में आते जाते है। अतः विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 1570 की पूर्वी मेड से 12 फीट चोडा रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ते की भूमि का मुआवजा भुगतान करने के लिए तैयार है।

प्रकरण संख्या 328/2017 निर्णय दिनांक 15.6.2018 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 1570 के पूर्वी दिशा में सिथत 12 फीट रास्ता क्षैत्रफल 0.01 बिस्वा भूमि डीएलसी दर से राशि जमा होने पर रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये है।

विपक्षीगण ने निर्णय दिनांक 15.6.2018 के विरूद्ध यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहाँ अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या आरटीए/390/2018 दर्ज होकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा उनके निर्णय दिनांक 22.10.2019 प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.6.2018 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को अदालती नोटिस जारी किये गये, विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नही हुए तहसीलदार भीलवाडा से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार भीलवाडा से पत्र कमांक एफ–2288/रीडर/2022/504 दिनांक 12.08.2022 से रास्ते का प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसके अनुसार ग्राम पालडी की आराजी नम्बर 1571 में आराजी से मुख्य रेकार्डेड रास्ते तक आने जाने के लिए वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी को मुख्य रेकार्डेड रास्ते तक आने जाने के लिए पडोसी खातेदारी आराजी नम्बर 1570 के पूर्वी मेड के सहारे से होते हुए आराजी नम्बर 1678 गै0मु0 नाली में से होकर मुख्य रेकार्डेड रास्ते आना जाना होगा मुख्य मार्ग से आराजी नम्बर 1571 पर पहुंचने के लिए निकटतम प्रस्तावित रास्ता यही है।आराजी नम्बर 1571 से मुख्य रेकार्डेड रास्ते से आने जाने के लिए आराजी नम्बर 1570 के पूर्वी मेड के सहारे से होते हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नम्बर 1570 में से रकबा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

0.0126 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई, प्रार्थी द्वारा भी आराजी नम्बर 1570 में से ही रास्ते हेतु भूमि चाही गई। ग्राम पालडी प0ह0 पालडी तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1563, 2128/1571, 1571, 1567/1, 1566/1 कुल किता 05 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1570 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से 12 फीट पूर्वी मेड के सहारे सहारे रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि की डीएलसी दर अनुसार मूल्यांकन राशि की दुगुनी राशि विपक्षीगण को अदा करने पर रास्ते हेतु स्वीकृत करना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए का स्वीकार योग्य ठहरता है।

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम पालडी प0ह0 पालडी तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1563, 2128/1571, 1571, 1567/1, 1566/1 कुल किता 05 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा बिस्वा भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है, प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1563, 2128/1571, 1571, 1567/1, 1566/1 में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 1570 रकबा 0.2023 हैक्टेयर की पूर्वी मेड सहारे सहारे रास्ता हेतु 0.0126 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 0.0126 हैक्टेयर बनता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बिलानाम रास्ते हेतु दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार भीलवाड़ा उक्त रास्ते की भूमि 0.0126 हैक्टेयर भूमि का मूल्यांकन वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार करे। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त 0.0126 हैक्टेयर भूमि की किमत वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी दर अनुसार कुल मूल्यांकन राशि के दो गुणा राशि विपक्षी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार भुगतान करना होगा। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की कुलिया मूल्यांकन राशि विपक्षी संख्या 1 व 2 को अदा करने पश्चात् तहसीलदार भीलवाड़ा विपक्षी संख्या 1 व 02 की आराजी नम्बर 1570 रकबा 0.2023 हैकटेयर में से 0.0126 हैक्टेयर भूमि में पूर्वी मेड के सहारे सहारे रास्ता राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु बिलानाम रास्ता दर्ज करे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, भीलवाड़ा को भिजवाते हुये लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(ओम प्रभा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.09.2022 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा